न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 128/2012

1. केसराराम उर्फ कृष्णलाल पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी चक 2 बी.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर(मृतक):–

1/1 शान्ति देवी बेवा केसराराम उर्फ कृष्णलाल		
1/2 राजवीर पुत्र केसराराम उर्फ कृष्णलाल		
1/3 पुष्पा देवी पुत्री केसराराम उर्फ कृष्णलाल		जाति नायक निवासी चक 2 बी.डी.
2. लालाराम उर्फ लालचन्द	पि0 पेमाराम	तह0 घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. भादरराम		
4. कन्हैयालाल उर्फ कानाराम		
5. जमना देवी बेवा पेमाराम		
6. फूलवती	पुत्रीयां पेमाराम	
7. बंसरो		
		––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। ––रेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधि.1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 03.08.2012

उपस्थितिः–

श्री सुलतानसिंह बुडानियां अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.08.2012 के विरूद्ध पेंश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दिनांक 10.01.1992 को निरस्त करते हुए विवादित भूमि को किसी सक्षम न्यायालय का आदेश न हो तो बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

8/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 2 बी.डी. के मु.नं. 234/5 के कि. नं. 1 से 4, 6 से 25 की 16 बीघा व मु.नं. 234/4 के कि.नं. 21 के 9 बिस्वा, मु.नं. 34/3 के कि.नं. 9, 10, 11 की 1 बीघा कुल 24.13बीघा भूमि पेमाराम को 1971 से पूर्व की आरजी काश्त आराजी थी जो दिनांक 28.02.1974 को पुख्ता आवंटन की गई। पेमाराम को उक्त आवंटन के पश्चात दिनांक 23.11.76 को 2 किश्तें जमा करवा दी जिसकी शिकायत होने पर दिनांक 17.06.77 को आवंटन खारिज कर दिया। लेकिन विवादित भूमि पर कब्जा काश्त पेमाराम और उसके वारिसान का चला आ रहा है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 09.09.86 के तहत आगामी आदेश तक कब्जाशुदा भूमि से बेदखल नहीं करने के निर्देश है। इस सम्बन्ध में पेमाराम के वारिसान द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रा.पत्र पेश करने पर मौके की यथास्थिति रखने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 05.02.1992 दिनांक 25.04.2000 को निरस्त करते हुए वापिस ले लिया, जिसकी अपील इस न्यायालय में पेश की और दिनांक 18.10.2004 को अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया। तत्पश्चात अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा विवादित भूमि को बहक सरकार लेने के आदेश दिये जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि को आवंटन करवाने के अधिकारी हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए विवादित भूमि अपीलार्थीगण को आवंटन करने के आदेश दिये जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता। रकबा राज पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2004 में दिये निर्देशों की पालना न कर अपीलांट के claim का प्रा.पत्र निरस्त

8/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया है जबकि अपीलांट समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की गाइड लाइन अनुसार विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पात्र होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय के निर्णय का क्रियात्मक हिस्सा है कि तहसीलदार घडसाना के प्रतिवेदन दिनांक 30.01.12 के अनुसार माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन डीबी अपील सं. 620/80 की स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता के वारिसान को तलब किया गया तो उनके द्वारा मौखिक रूप से अवगत करवाया कि याचिकाकर्ता पेमाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा विचाराधीन रिट खारिज कर दी गई है। चुंकि पेमाराम द्वारा प्रस्तुत डी. बी अपील खारिज हो चुकी है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण का यह कर्तव्य था कि वे उक्त डी.बी. अपील के निर्णय की प्रति इस न्यायालय के समक्ष पेश करते ताकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पेमाराम की भूमि के संबंध में उसी अनुसार निर्णय किया जाता। माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. अपील सं. 620/80 के निर्णय के पश्चात राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय 18.10.2004 में प्रार्थीगण के आवंटन पर दिये गये निर्देशों के संबंध में कोई महत्व नहीं रहता है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति जान बूझकर प्रस्तुत नहीं की गयी है। इससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उनके विपरीत है। अगर उनके पक्ष में होता तो निर्णय की प्रति अवश्य पेश करते। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत माननीय उच्च न्यायालय के अधी. किसी भी राजस्व न्यायालय को किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के आवंटन प्रा.पत्र पर विचार करने का निर्देश देने संबंधी कोई अधिकार नहीं रहता है। इसलिए प्राथीगण का प्रा.पत्र दिनांक 10.01.92 निरस्त किये जाने योग्य है।

इस निर्णय में अंकित दो दस्तावेज यथा माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. अपील संख्या 620/80 का निर्णय व अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.92 को जो प्रा.पत्र निरस्त किया है दोनों ही दस्तावेज अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधी. न्यायालय की सन्दर्भ पत्रावली विविध 18/2005 दाखिल दिनांक 04.04.2005 तारीख फैसला 03.08.2012 तादाद कागजात पार्ट–ए में 43 व पार्ट–बी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

14 कुल 57 पृष्ठों में उपरोक्त दोनों ही दस्तावेज नहीं है। अतः निर्णय बिना रिकार्ड देखे किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही निर्णय में तहसीलदार घडसाना के प्रतिवेदन का हवाला दिया गया है। उसकी इबारत है कि कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घडसाना , क्रमांक राजस्व/142 दिनांक 30.01.2012, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर, विषयः– प्र.सं. 18/05 विविध/न्यायालय जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर में डी.बी.सं. 620/80 की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट भिजवाने। , महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्र.सं. 18/05 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट सं. डी.बी. 620/80 की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट चाही गई है, याचिकाकर्ता के वारिसान को तलब किया गया। उन्होंने मौखिक रूप से अवगत कराया है कि याचिकाकर्ता प्रेमाराम की हो चुकी है तथा विचाराधीन रिट खारिज कर दी गई है। राजकीय अध्विक्ता से रिट सं. डी.बी. 620/80 प्रेमाराम बनाम सरकार के निर्णय की प्रति प्राप्त कर भिजवाने हेतु दूरभाष पर निवेदन किया गया है। रिट के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही तत्काल श्रीमानजी की सेवा में प्रेषित कर दी जावेगी। भवदीय, हस्ताक्षर , तहसीलदार (राजस्व) घडसाना।

तहसीलदार घडसाना का प्रतिवेदन तथ्यपरक न होकर जबानी जमा खर्च है जो अपीलाधीन आदेश का आधार बना है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का मोहताज है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2004 में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 25.04.2000 अन्तिम आदेश न होकर अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध रा.का.अ. की धारा 225 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। परन्तु न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 25.04.2000 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 09.09.86 तथा 10.08.90 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण–अपीलांट को सुनकर वादग्रस्त भूमि की मौका की स्थिति के सम्बन्ध में उचित आदेश जारी करावें। अधी. न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्रों को पढा तक नहीं एवं निर्णय में विवेचन भी नहीं किया।

8/5/14
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली के अवलोकन, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहचता है कि :–

(1) अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित दो महत्वपूर्ण दस्तावेज यथा आवेदन पत्र दिनांक 10.01.92 जिसे निरस्त किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. अपील 620/80 का निर्णय दोनों ही पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसे देखे बिना ही विवेचन कर निर्णय किया गया प्रतीत होता है जो बिना रेकार्ड देखे किया गया निर्णय है।

(2) राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देने हेतु जारी किये गये परिपत्र जिसमें से दो दिनांक 09.06.86 व 10.08.1990 पत्रावली पर उपलब्ध है विवेचन योग्य है।

(3) पत्रावली पर यह तथ्य भी उपलब्ध है कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.02.2018 के मुताबिक जमाबन्दी चक 2 बी.डी. के प.नं. 234/4 कि.नं. 21/1/101, 22/1/0.25 = 0.126है0 कमाण्ड, प.नं. 234/13 कि.नं. 9/1/.012 , 10/1/.101, 11/.253, 19/1/.051 = 0.417है0 कमाण्ड, प.नं. 234/5 के कि.नं. 1/1/.228, 2/1/.240, 3/1/.228, 4/1/.076, 6/1/.215, 7 ता 9/.759, 10/1/.228 , 11/1/.228, 12 ता 19/2.024, 20/1/.228, 21/1/.228, 22 ता 25/1.012 = 5.694है0 कमाण्ड कुल 6.237है0 कमाण्ड आराजीराज दर्ज है। मुताबिक पी–14 सम्वत 2074 के फसल रबी 2074 व खरीफ 2074 में भादरराम, कानाराम पि. पेमाराम जाति नायक सा. 2 बी.डी. कि कब्जा काश्त है। इससे पूर्व की पी–14 की नकल संलग्न है। मुताबिक पी–14 की नकल अनुसार पूर्व में कब्जा काश्त चली आ रही है। मौके पर प.नं. 234/5 के कि.नं. 16 में भादरराम पुत्र पेमाराम जाति नायक, कि.नं. 18 में कानाराम पुत्र पेमाराम जाति नायक की ढाणी बनाकर निवास कर रहे है। पी–14 सम्वत 2073 रबी (1), पी–14 सम्वत 2073 खरीफ(1), पी–14 सम्वत 2074 रबी (1), पी–14 सम्वत 2074 खरीफ (1), पी–14 सम्वत 2071 रबी (1), हस्ताक्षर पटवारी हल्का। विवादित आराजी आज भी अपीलांट के कब्जे में है।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 तक के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है चुंकि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की कलक्टर की शक्तियां सम्बन्धित

8/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Territorial jurisdiction के उपखण्ड अधिकारियों को delegate हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2012 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी घडसाना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित रिट 620/80 के निर्णय तथा निर्णय के पश्चातवर्ती राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का अध्ययन कर अपीलांट की भूमि आवंटन/नियमन पात्रता का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर